संoसंo–9/आo–01–43/2011

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि **डाo सुबोध कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जौकीहाट, अररिया** अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

उक्त **डाo सुबोध कुमार**, के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डाo सुबोध कुमार,. असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए **डाo आरo केo सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2** होगें ।

डाo सुबोध कुमार, को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 707(9) / स्वाo, पटना, दिनांक : 06/07/2018

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी **डाo आरo केo सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 707(9) / स्वाo, पटना, दिनांक : 06/07/2018

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति , **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 707(9) /स्वाo, पटना, दिनांक : 06/07/2018

प्रतिलिपिः **डाo सुबोध कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जौकीहाट, अररिया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।